संकीर्ण सोच : गंगा के कायाकल्प पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

26 अक्टूबर, 2018

स्वच्छ जल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकेंद्रीकृत गाद/तलछट प्रबंधन प्रणाली महत्वपूर्ण हैं।

बुरी स्थिति में पहुँच चुकी स्वच्छता भारत के लिए सबसे बुरा रहस्य भी बन चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि स्वच्छता का विस्तार करने के लिए मिशन मोड में काम करने के बावजूद, शहरी क्षेत्रों में शौचालयों से निष्कासित 87% मल कीचड़ का इलाज नहीं किया जाता है। जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के तहत 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता प्राप्त करने के लक्ष्य के खिलाफ प्रतीत होता है, यह निराशाजनक आंकड़े बताता है कि अभी भी कितना काम किया जाना बाकी है।

बेहतर आवास और योजनाबद्ध विकास के लिए राज्य समर्थन कभी मजबूत नहीं रहा है, और वर्ष 2008 की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति ने महत्वपूर्ण रूप से कुछ भी बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2015 की एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का अनुमान है कि वार्षिक रूप से भारत में पर्यावरण में 65,000 टन उपचार न किए गए कीचड़ बहा दिए जाते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान ने एक प्रमुख बदलाव का वादा किया था, लेकिन इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरेलू और सामुदायिक शौचालयों की बुनियादी आवश्यकता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। अब एक नए दृष्टिकोण का वक्त आ चुका है

इसे गंगा को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति से विकेन्द्रीकृत और अलग होना है, जिसके लिए एनडीए सरकार ने 2015 में 20,000 करोड़ रुपये का परिव्यय घोषित किया था। यह रणनीति नदियों के किनारे शहरों और कस्बों के लिए बड़े सीवेज उपचार संयंत्रों पर निर्भर करती है।

गंगा की सफाई के बारे में केंद्र सरकार ने अपना दृष्टिकोण रखते हुए इस नदी के गौरव को बहाल करने के लिए अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि के उपायों का खाका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया।

इन्हें पूरा करने में 18 वर्ष से अधिक समय लग जाएगा और हजारों करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। सरकार ने कहा कि उसने जल अपशिष्ट शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित पूर्ण स्वच्छता को हासिल करने के लिए प्रथम लक्ष्य के तौर पर गंगा के तट पर बसे 118 शहरों की पहचान की है।

विकेन्द्रीकृत कीचड़ प्रबंधन प्रणालियों में तत्काल निवेश दो लाभ देगा अर्थात पर्यावरण में सुधार करेगा और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण उत्पन्न हुए रोग के बोझ को कम करेगा।

यह एक स्वागतयोग्य पहल है जहाँ व्यक्तिगत शहरों में मल अपशिष्ट प्रवाह पर एक मानचित्रण अभ्यास के साथ सीएसई अध्ययन का पालन किया जा रहा है। वाराणसी, इलाहाबाद और अलीगढ़ के परिणाम विशेष रूप से प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इन शहरों में कीचड़ के लिए संग्रह दक्षता केवल 10% से 30% तक है।

एक तत्काल हस्तक्षेप और एक अंतर-विभागीय टास्क फोर्स के का निर्माण की आवश्यकता है, जो भूमि की पहचान करे और वर्तमान में खुली नालियों में अपशिष्ट को बहाने वाले घरों को एक सुलभ समाधान प्रदान करे।

स्वच्छता के व्यवसाय के सभी पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है यदि भारत समानतावादी नीतियों के साथ सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य संख्या 6 को पूरा करना चाहता है तो।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य नीति के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा इस क्षेत्र में सफलता हमारी जीवन बदल सकती है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

लक्ष्य?

- एनएमसीजी का लक्ष्य राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण तथा इसका कार्यान्वयन है।
- परियोजना में डिजिटल इलिवेशन मॉडल (Digital Elevation Model & DEM) प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है जो सटीक आँकड़ा संग्रह सुनिश्चित करता है।
- यह नदी-बेसिन प्रबंधन योजना का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- डीईएम प्रौद्योगिकी पूरे क्षेत्र की स्थलाकृति की पहचान करता है।
- इससे नीति निर्माता आसानी से उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार यह नीति निर्माण प्रक्रिया को सहायता प्रदान करता है। इस तकनीक से महत्त्वपूर्ण स्थानों की पहचान की जा सकती है।
- जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग विकेंद्रीकरण को भी सुनिश्चित करेगा। संग्रह किये गए आँकड़ों तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी पोर्टल व मोबाईल एप के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ साझा की जा सकती है।
- स्थानीय लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस प्रकार यह आपसी संवाद सुलभ करेगा तथा एक पारदर्शी मंच साबित होगा।
- प्रभावी निर्वहन प्रबंधन के लिये औद्योगिक, व्यावसायिक और सभी अन्य प्रकार की संस्थाओं से निकलने वाले सीवेज की मैपिंग की जाएगी।
- जीआईएस प्रौद्यौगिकी से नदी के दोनों किनारों पर प्रस्तावित उच्च क्षमता वाली संरक्षित क्षेत्रों के नियमन में सहायता मिलेगी।

अन्य प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने से संबंधित एक परियोजना को मंजूरी दी है, ताकि वे समय-समय पर जल की गुणवत्ता सत्यापित कर सकें।
- प्रदूषण मूल्यांकन और जल गुणवत्ता निगरानी के लिये प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे तथा प्रशिक्षित विज्ञानकर्मियों को नियुक्त किया जाएगा।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने की परियोजना की अनुमानित लागत 5 वर्षों के लिये 85.97 करोड़ रुपए है।
- पश्चिम बंगाल में हुगली-चिनसुरह और महेशतला नगरपालिकाओं में सीवेज अवसंरचना को विकसित करने के लिये 358.43 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।
- इन दोनों परियोजनाओं के पूरे होने से 56 एमएलडी सीवेज पानी सीधे गंगा में बहने से रुक जाएगा।
- महेशतला एक प्रमुख शहर है और यह वृहत कोलकाता का एक हिस्सा है। महेशतला परियोजना में पृथक सीवर नेटवर्क (27 किलोमीटर), एक एसटीजी (26 एमएलडी), मौजूदा बुनियादी ढाँचे की मरम्मत कार्य और 15 वर्षों तक संचालन व रख-रखाव आदि शामिल हैं। इनकी कुल लागत 198.43 करोड़ रुपए है।
- 160 करोड़ रुपए की लागत से हुगली चिनसुरह परियोजना में एक एसटीजी का निर्माण (29.3 एमएलडी), 20 किलोमीटर सीवर लाइन का निर्माण, 2 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा बुनियादी ढाँचे का मरम्मत कार्य तथा 15 वर्षों तक संचालन व रख-रखाव आदि शामिल हैं।
- ये दोनों परियोजनाएँ पीपीपी मॉडल आधारित हाइब्रिड एन्यूटी के अंतर्गत मंजूर की गई हैं।
- 531.24 करोड़ रुपए की लागत वाली ये 4 नई परियोजनाएँ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 11वीं कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूर की गई थी।

नमामि गंगे योजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना 'नमामि गंगे' को मई 2015 में स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के तहत, गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के कदम उठाए जा रहे हैं।
- बेहतर और टिकाऊ परिणाम हासिल करने के लिये इस कार्यक्रम में अहम बदलाव करते हुए गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को स्वच्छ गंगा मिशन में शामिल किया गया है।
- गंगा स्वच्छता मिशन में राज्यों और जमीनी स्तर के संस्थानों, जैसे- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों को शामिल किया गया है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga&NMCG) द्वारा लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन

- यह एक स्वायत्त निकाय है, जो केंद्र में वित्तीय योजना, निगरानी और समन्वय संबंधी कार्य करता है।
- इससे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के दो उद्देश्यों, प्रदूषण के उपशमन और गंगा नदी के संरक्षण के उद्देश्य के लिये उपयुक्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा मदद दी जा रही है।
- एनएमसीजी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक या आकस्मिक प्रकार की सभी कार्रवाई करने का अधिकार है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. विकेन्द्रीकृत कीचड़/गाद प्रबंधन से अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण उत्पन्न हो रहे रोगों की दर में कमी होगी।
2. नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के दिशा में विकेन्द्रीकृत गाद प्रबंधन प्रणाली किस प्रकार सहायक होगी। अपने विचार प्रस्तुत करें।

(शब्द-250)

नोट :

25 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence